सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/839 दर्ज तिथिः– 29.12.2025

1. अरजनराम पुत्र धरमाराम
2. जेतीदेवी पत्नी उदाराम
3. नारणाराम पुत्र धरमाराम
4. फुवाराम पुत्र धरमाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1 रावताराम पुत्र फुवाराम
   4/2 भोमाराम पुत्र फुवाराम
   4/3 जमनादेवी पत्नी फुवाराम
5. भगाराम पुत्र उदाराम
6. रमेश कुमार पुत्र भगाराम
7. केसाराम पुत्र भगवानाराम

जाति जाट निवासी राजनगर ग्राम पंचायत मीठीबेरी तहसील नोखड़ा।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. अणदाराम पुत्र लाखाराम
2. अनुदेवी पत्नी तुलछाराम
3. अमराराम पुत्र हरचन्दराम
4. खुमाराम पुत्र तुलछाराम
5. गजेन्द्र पुत्र खुमाराम
6. जेठाराम पुत्र तुलछाराम
7. टीकमाराम पुत्र जगमालराम
8. डालूराम पुत्र लाखाराम
9. तेजाराम पुत्र लाखाराम
10. धुड़ी पत्नी हरचन्दराम
11. नराराम पुत्र खुमाराम
12. नवलाराम पुत्र ताजाराम
13. नारणाराम पुत्र तुलछाराम
14. पनाराम पुत्र लाखाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:32 IST
Reason: SelfAttested

15. पूराराम पुत्र लाखाराम
16. भगाराम पुत्र ताजाराम
17. भेराराम पुत्र हरचन्दराम
18. भींयाराम पुत्र लाखाराम
19. रामाराम पुत्र ताजाराम
20. वीरमाराम पुत्र जगमालराम
21. हीरोदेवी पत्नी लाखाराम
22. धनाराम पुत्र थानाराम
23. नगाराम पुत्र थाना
24. उदाराम पुत्र हंजारीराम
25. किशनाराम पुत्र हंजारीराम
26. जवाराराम पुत्र हंजारीराम
27. पुखराज पुत्र हंजारीराम
28. रेवताराम पुत्र हंजारीराम
29. जोगाराम पुत्र मोडाराम
30. दौलीदेवी पत्नी मोडाराम
31. बाबूराम पुत्र मोडाराम
32. भोमाराम पुत्र मोडाराम
33. रामाराम पुत्र मोडाराम
34. गंगाराम पुत्र वीरमाराम

    जाति जाट निवासी आशानगर ग्राम पं. गोलिया जैतमाल

35. कलाराम पुत्र केसराराम
36. तारूराम पुत्र केसराराम
37. देवाराम पुत्र केसराराम
38. मूलाराम पुत्र केसराराम
39. मोहनराम पुत्र केसराराम
40. आदूराम पुत्र नगाराम
41. ईशराराम पुत्र नगाराम
42. घमण्डाराम पुत्र जगमालराम
43. चुतराराम पुत्र नगाराम
44. मुलाराम पुत्र नगाराम
45. रूपाराम पुत्र किस्तुराराम
46. राउराम पुत्र नगाराम
47. अनाराम पुत्र रणछाराम
48. उदाराम पुत्र रणछाराम
49. जेठाराम पुत्र रणछाराम
50. जोगाराम पुत्र रणछाराम

उपखंड कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:32 IST
Reason: SelfAttested

51. टलाराम पुत्र नानगाराम
52. ढेलीदेवी पत्नी रणछाराम
53. फगलूराम पुत्र नानगाराम
54. भंवराराम पुत्र कोहलाराम
55. मगाराम पुत्र रणछाराम
56. मगाराम पुत्र कोहलाराम
57. हेमी पत्नी कोहलाराम
58. हिमथाराम पुत्र कोहलाराम जाति मेघवाल
59. गुमनाराम पुत्र शेराराम
60. हरजीराम पुत्र प्रहलादराम
61. जेताराम पुत्र जोधाराम
62. जोधा पुत्र केसरा
63. भोमाराम पुत्र जोधाराम
64. कानू पत्नी दलाराम
65. गंगाराम पुत्र कुंभाराम
66. जसाराम पुत्र दलाराम
67. भवरलाल पुत्र दलाराम
68. झीमोदेवी पत्नी पूनमाराम
69. तिलोकाराम पुत्र पूनमाराम
70. भगाराम पुत्र गुमनाराम
71. सोनाराम चौधरी पुत्र गुमनाराम
72. दुर्गाराम पुत्र शेराराम
73. गुमनाराम पुत्र शेराराम
74. कासू पुत्र हेमा
75. गोरधन पुत्र हेमा
76. छोगा पुत्र मेहा
77. तेजा पुत्र मेहा
78. पालू पत्नी मेहा
79. पोकराराम पुत्र खरथाराम
80. उदाराम पुत्र राजूराम
81. खरथाराम पुत्र राजूराम
82. माला पुत्र खरथा
83. उदीदेवी पत्नी पदमाराम
84. केसीदेवी पत्नी दोलाराम
85. कोशलाराम पुत्र दौलाराम
86. चेनीदेवी पत्नी रामाराम
87. देवाराम पुत्र हरदासराम

सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:32 IST
Reason: SelfAttested

88. दीपाराम पुत्र पदमाराम
89. पुरखाराम पुत्र मगाराम
90. भूराराम पुत्र पदमाराम
91. मगनाराम पुत्र हरदासराम
92. रामाराम पुत्र जगराम
93. रामाराम पुत्र मगाराम
94. हरजीराम पुत्र हरदासराम

जाति जाट निवासी कूकणो की ढाणिया ग्राम पंचायत मीठीबेरी तहसील नोखड़ा।

.... असल अप्रार्थीगण

95. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा।

.... तकमिली अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री ठाकरराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 27.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 143 / 1 / 9.7124 मौजा आशानगर, खसरा संख्या 116 / 4.5648 है0 मौजा कूकणों की ढाणिया, खसरा संख्या 115 / 2.8085 है0, 115 / 13 / 3.5289 है0 मौजा श्रीटीकमगढ़, खसरा संख्या 44 / 7.6890 है0 मौजा राजनगर पटवार हल्का गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा, रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेश की पालना में दिनांक 17.11.2025 को पटवारी हल्का गोलिया जैतमाल द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 143 / 1 / 9.7124 मौजा आशानगर, खसरा संख्या 116 / 4.5648 है0 मौजा कूकणों की ढाणिया, खसरा संख्या 115 / 2.8085 है0, 115 / 13 / 3.5289 है0 मौजा श्रीटीकमगढ़, खसरा संख्या 44 / 7.6890 है0 मौजा राजनगर तहसील नोखड़ा की पत्थरगढ़ी दिनांक 17.11.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:32 IST
Reason: SelfAttested

कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील के अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 17.11.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries***.*—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:32 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—2077, 2075—2078 जमाबंदी 2078(वर्ष 2021) से स्थायी ग्राम राजनगर, आशानगर, श्रीटिकमगढ़ व कूकणो की ढाणिया में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम राजनगर, आशानगर, श्रीटिकमगढ़ व कूकणो की ढाणिया के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 17.11.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 143 ⁄ 1 ⁄ 9.7124 मौजा आशानगर, खसरा संख्या 116 ⁄ 4.5648 है0 मौजा कूकणों की ढाणिया, खसरा संख्या 115 ⁄ 2.8085 है0, 115 ⁄ 13 ⁄ 3.5289 है0 मौजा श्रीटीकमगढ़, खसरा संख्या 44 ⁄ 7.6890 है0 मौजा राजनगर तहसील नोखड़ा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों ⁄ हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:32 IST
Reason: SelfAttested